



(☎ 022-22862703)
ई-मेल-irw@dae.gov.in
फैक्स-22048476 & 22824354

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन
छ. शि. म. मार्ग
मुंबई - 400001

सं. 7/8/2015/आईआरएण्डडब्ल्यू/ 13309

अक्टूबर 13, 2017

कार्यालय जापन

विषय : अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य सेवानिवृत्ति पर देय सीएचएसएस
अंशदान की दर में संशोधन।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16/12/2016 के कार्यालय जापन संख्या 7/8/2015/आईआरएण्डडब्ल्यू/16692 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस कार्यालय जापन के पैरा 1 के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 20 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम की अर्हक सेवा देकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे अंशदान के सामान्य दर की तीन गुना का भुगतान करके सीएचएसएस योजना के तहत पंजीकरण जारी रखने के लिए पात्र हैं।

2. इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें एफआर 56(k) के तहत 20 वर्षों से कम अर्हक सेवा रखनेवाले कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। इस विभाग में इस विषय की जाँच की गई और यह निर्णय लिया गया कि स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जिनकी अर्हक सेवा 20 वर्ष से कम है, उन्हें अंशदान के सामान्य दर की तीन गुना का भुगतान करने पर सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान की जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राकेश गर्ग)

निदेशक (आईआरएण्डडब्ल्यू)

सभी सीएचएसएस नियंत्रण प्राधिकारी

प्रतिलिपि :

- (1) यूनिटों के सभी प्रशासनिक प्रमुख
- (2) अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, पऊवि का कार्यालय
- (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), पऊवि का कार्यालय
- (4) निदेशक, आईएमएससी, चेन्नई
- (5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि
- (6) सचिव, स्टाफ पक्ष, डीसी
- (7) महासचिव, एनएफएईई
- (8) पऊवि मुंबई/दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग



(☎ 022-22862703)

E-mail-irw@dae.gov.in

Fax No.-22048476 & 22824354

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

IR&W SECTION

Anushakti Bhavan,

C.S.M. Marg,

Mumbai - 400001

No. 7/8/2015/IR&W/ 13309

October 13, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rate of CHSS contribution payable on retirement other than on retirement on superannuation.

Reference is invited to O.M. No.7/8/2015/IR&W/16692 dated 16/12/2016 on the above subject. As per para1 of OM ibid, employees retiring voluntarily with 20 years and above but less than 25 years of qualifying service are eligible for continuing registration under the CHS Scheme on payment of three times the normal rate of contribution.

2. References have been received in the Department requesting extension of CHSS facilities to employees taking voluntary retirement under FR 56(k) with less than 20 years of qualifying service also. The matter has been examined in the Department and it has been decided to extend the CHSS facilities to employees retiring voluntarily with less than 20 years of qualifying service on payment of three times the normal rate of contribution.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.


(Rakesh Garg)
Director(IR&W)

All CHSS Administering Authorities

Copy:

- (1) All Administrative Heads of Units
- (2) O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (3) O/o Joint Secretary(A&A), DAE
- (4) Director, I.M.Sc., Chennai
- (5) US(Admn), DAE
- (6) Secretary, Staff Side, DC
- (7) General Secretary, NFAEE
- (8) All officers/Sections in DAE, Mumbai/New Delhi